



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60426

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2105/2026

नारायण

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: निशा चौहान, शैलेंद्र सिंह राठौर

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता **नारायण** द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, मैनपुरी द्वारा दिनांक 31.1.2026 को जमानत याचिका संख्या 147/2026 (नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 410/2025, बी.एन.एस. की धारा 74, 115(2) और एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम की धारा 3(2)वीए, 3(1)(आर) के तहत, थाना भाओगांव, जिला मैनपुर से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता ने उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की भी प्रार्थना की है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोप है कि सूचनादाता अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रहती हैं और बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं। 30.7.2025 को रात लगभग 11.00 बजे वह बस नंबर यूपी 78जेटी 5754 से अपने घर जा रही थी और रास्ते में यात्रियों ने रात 10.00 बजे सिटीजन ढाबे पर कुछ खाने-पीने का सामान लेने के लिए बस रोकी। वह शौच के लिए खेत की ओर गई,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तभी चार आरोपी वहां आए और उसके साथ छेड़छाड़ की, जिससे वह गिर गई और उसके हाथ में चोट आ गई। उसके शोर मचाने पर कुछ पुलिसकर्मी 2-3 लोगों के साथ वहां पहुंचे और अभियुक्तों को पकड़ लिया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में गंभीर विरोधाभास हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करती है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस द्वारा कोई पहचान परेड नहीं की गई। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है। अपीलकर्ता 31.7.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है।

7. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश **रद्द** किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता **नारायण** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

कृष्णा*

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"